प्रेस नोट **दिनांक 19.02.2026**

एक नफर अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी गिरफ्तार कब्जे से 1.530 किग्रा0 नाजाजय चरस (कीमत करीब 75 लाख) व परिवहन में प्रयुक्त कार बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर कृष राजपूत के नेतृत्व में दिनांक 18.02.2026 को थानाध्यक्ष दक्षिण टोला मय हमराह के क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मिर्जाहादीपुरा मोड़ पर एसओजी व स्वाट टीम के साथ अपराध तथा अपराधियो के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उसी समय मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया की बढुआ गोदाम की तरफ से एक व्यक्ति नाजायज चरस लेकर स्वीफ्ट डिजायर कार से आ रहा है, जो मतलूपुर होकर सठियांव से एक्सप्रेस वे पकड़ कर हरियाणा जायेगा, मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास कर मौजूद पुलिस बल को साथ में लेकर मतलूपुर फ्लाई ओवर पहूंचकर पुलिस टीम को दो टीमो में विभक्त कर आने वाली कार का इन्तजार करने लगे की कुछ ही देर में एक सफेद स्वीफ्ट डिजायर कार आती हूई दिखाई दी,जिसको देखते ही मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि यही जो कार आ रही है, वही है, मुखबिर खास मौके से हट बढ गया,पुलिस टीम द्वारा आ रही स्वीफ्ट डिजायर कार को आगे से रोकने का प्रयास किया गया तो कार चला रहे व्यक्ति द्वारा कार को पीछे मोड़ कर भागना चाहा कि पीछे से भी लगी दुसरी पुलिस टीम ने रोक लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति को कार से उतारकर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम जितेन्द्र कुमार राय पुत्र रामेश्वर राय निवासी मकान न0 2अ/412 आवास विकास कालोनी हरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बलिया बताया तथा कार की डिग्गी में चरस होने की बात बतायी जिसकी सूचना पर श्रीमान क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना महोदय भी मौके पर आ गये, जिनके द्वारा पूछताछ किया गया तथा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के द्वारा चलायी जा रही कार की डिग्गी से 1.530 किग्रा0 नाजायज चरस बरामद हूई। पूछताछ पर बताया कि वह चरस को लेकर हरियाणा में जाता है, वही पर जाकर बेच देता है, हर बार रास्ता बदल बदल कर जाता है, इस बार भी बलिया से हरियाणा जाने के लिए लिए निकला था, आजमगढ़ में सठियांव के एक्सप्रेस वे पकड़ कर हरियाणा चला जाता। वही पर चरस बेच देता। पकड़े गये अभियुक्त को समय 22.35 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जितेन्द्र कुमार राय पुत्र रामेश्वर राय निवासी मकान न0 2अ/412 आवास विकास कालोनी हरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बलिया

बरामदगी-

1. नाजायज चरस 1.530 किग्रा0
2. अपराध में प्रयुक्त स्वीफ्ट डिजायर कार

पंजीकृत अभियोग-

1. 1.मु0अ0सं0 20/2026 धारा 8/20/60 NDPS ACT थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 बसन्त लाल थानाध्यक्ष थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी जनपद मऊ
3. उ0नि0 मनोज कुमार मौर्य एसओजी प्रभारी जनपद मऊ
4. उ0नि0 अरूण कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
5. हे0का0 विक्रम सिंह रघुवंशी स्वाट टीम मऊ
6. हे0का0 पीयूष सिंह स्वाट टीम मऊ
7. का0 ज्ञानेन्द्र पाण्डेय स्वाट टीम मऊ
8. का0 मौर्या दीपक कुमार एसओजी टीम मऊ
9. का0 अविनाश धर दूबे एसओजी टीम मऊ
10. का0 अनिरूद्ध सिंह एसओजी टीम मऊ
11. का0 अनुदेश दत्त बनौधा एसओजी टीम मऊ
12. का0 ऋषभ द्विवेदी एसओजी टीम मऊ

पुलिस लाइन जनपद मऊ में रिक्रूट आरक्षियों का शस्त्र प्रशिक्षण में रबर बुलेट व डमी ग्रेनेड थ्रो का करायी गयी परीक्षा -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के दृष्टीगत पुलिस लाइन मऊ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिक्स के व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ साथ शस्त्र प्रशिक्षण में रबर बुलेट व डमी ग्रेनेड थ्रो का परीक्षा करायी गयी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को, संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि, भीड़ नियंत्रण, क्षेत्रीय भ्रमण, अनुशासन एवं ड्यूटी

के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीतियों के संबंध में भी विस्तार से ब्रीफ किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि इसका उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना एवं असामाजिक तत्वों में भय उत्पन्न करना है।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी लाइन श्री दिनेश दत्त मिश्र प्रतिसार निरीक्षक , सभी आईटीआई, पीटीआई व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 19.02.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त विमल कुमार वासनेय पुत्र देवकीनन्दन निवासी बी 303 रोजरी अपार्टमेन्ट उदयबाग घोरपड़ी थाना वानवड़ी जिला पुणे महाराष्ट्र, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त पंकज श्रीवास्तव पुत्र छोटेलाल निवासी सुरहुरपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपमद मऊ तथा थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मुकेश कुमार उर्फ अम्बानी पुत्र श्री मलराम निवासी बल्लाई बैरालपुर थाना दक्षिण टोला हाल पता विनोदपुर तियरा थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।